	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	माघ 30, गुरूवार, *शाके* 1947- फरवरी 19, 2026 Magha 30, Thursday, Saka 1947- February 19, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 04, 2026

संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 पार्ट :-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा- 40 (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा "खेत से खरीद" बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य में मण्डी क्षेत्र में किसानों से चयनित संस्थाओं के माध्यम से विज्ञप्त कृषि जिंसों के विक्रय करवाये जाने के क्रम में अधिसूचना की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए चयनित संस्थाओं द्वारा किए गए व्यवसाय पर सम्बन्धित मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क की 25 प्रतिशत राशि का मण्डी समिति द्वारा चयनित संस्थाओं को पुनर्भरण किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

20758

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।